राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Ph.: 0141-2706847(O);

पत्रांक : CCE/Admn./2020/Spl./19; Date: 4th May 2020

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः कोरोना महामारी के कारण मॉडीफाइड लॉक डाउन 3.0 (4 मई– 17 मई 2020) अवधि में कार्य निष्पादन हेतु दिशा निर्देश।

सन्दर्भ : राज्य सरकार के गृह विभाग का पत्रांक प.33(2)गृह–9/2019; दिनांक 02 मई 2020।

महोदय,

लेख है कि कोरोना महामारी के कारण घोषित लॉक डाउन के चलते राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में दिनांक 16 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मई 2020 तक ग्रीष्मावकाश घोषित है। तथापि, विगत वर्षों में जिस प्रकार महाविद्यालयी कार्यालय खुलते रहे हैं, उसी प्रकार इस वर्ष भी महाविद्यालयी कार्यालय खोले जाने हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 4 मई 2020 से सभी राजकीय कार्यालय खोलने के जो निर्देश जारी किय गये हैं, उनकी उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रांक अनुसार यथा निर्देश अनुपालना की जानी है।

उपर्युक्त प्ररिप्रेक्ष्य में मॉडीफाइड लॉक डाउन 3.0 (4 मई– 17 मई 2020) अवधि में जनसुरक्षा एवं सभी महाविद्यालयों को निम्नानुसार कार्यनिष्पादन हेतु निर्देशित किया जाता है कि –

1. चूंकि दिनांक 31 मई 2020 तक महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित है, अतः ग्रीष्मावकाश का उपभोग के लिये अधिकृत अधिकारियों/कार्मिकों को महाविद्यालय में नहीं बुलाया जावे। यदि किसी कार्मिक को बुलाया जाना अत्यावश्यक हो तो उसके लिये आयुक्तालय से पूर्वानुमति प्राप्त करके ही बुलाया जावे। आहरण विरतण अधिकारी इस उपबंध से मुक्त हैं, उन्हें आवश्कता होने पर कार्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा।
2. जो कार्मिक/अधिकारी ग्रीष्मावकाश का उपभोग करने के लिये अधिकृत नहीं हैं, उनमें से अधिकारी सवंर्ग के व्यक्ति प्रतिदिन तथा अराजपत्रित संवर्ग के व्यक्ति रोटेशन बेसिस पर 33 प्रतिशत संख्या में आमंत्रित किये जावें। जहां ऐसे कार्मिकों की संख्या यदि 02 हैं वहां दानों को कार्मिकों को बरावर बरावर कार्य दिवसों पर, तथा जहां ऐसे कार्मिकों की संख्या यदि 01 ही हैं, वहां प्रति कार्यदिवस बुलाया जा सकता है।
3. इस ग्रीष्मावकाश अवधि में स्वैच्छिक आधार पर विद्यार्थी हित में जो शिक्षक अपने घर से ही ई–व्याख्यान रिकार्ड करने, मॉडल क्वैश्चन पेपर बनाने, मॉडल आन्सर तैयार करने एवं विद्यार्थियों के साथ इन्हें विभिन्न माध्यमों से साझा करना चाहें उनका स्वागत है। यह पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर अपेक्षित है।

4. महाविद्यालयों में शिक्षण/प्रायोगिक कार्य अथवा किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु विद्यार्थियों को आमंत्रित नही किया जा सकेगा। इस प्रकार की समस्त गतिविधियां आगामी निर्देशों तक प्रतिबंधित रहेंगी।
5. जो महाविद्यालय कोरोना के कारण किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित आवागमन क्षेत्र में स्थित हैं, वे स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। किसी भी विषम परिस्थिति में महाविद्यालयी कार्यालय खोलने का निर्णय आपके स्तर पर लिया जाना है। महाविद्यालय कार्यालय नहीं खुला होने की स्थिति में आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक प्रशासन को इसकी सूचना अवश्य दें।
6. इस अवधि में राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
7. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालयी कार्यालय में अपने किसी कार्यवश लिखित आवेदन सहित आता है, तो उसकी सहायता की जावे, परन्तु इसमें सरकार के निर्देशानुसार सोसल डिस्टेन्सिंग, मास्क पहनना, सेनेटाइजेशन आदि का ध्यान रखा जावे।
8. सभी कार्मिक एवं आगन्तुक मास्क लगाकर ही कार्यस्थल पर आयें तथा मास्क लगाकर रहें।
9. वर्क फ्रॉम होम अवधि में कॉलेज के शिक्षकों द्वारा 07 से अधिक ई–व्याख्यान रिकार्ड किये गये है।, जिनमें से 04 हजार से अधिक विभिन्न सोसियल मीडिया साइट्स पर अपलोड किये जा चुके हैं। अतः स्थनीय समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थयों को इन ई–व्याख्यानों के माध्यम से पढाई में सहायता के लिये प्रेरित किया जा सकता है, ताकि वे विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के लिये अपनी तैयारी सुचारु रख सकें।
10. विद्यार्थियों द्वारा पढाई संबंधी किसी प्रकार की सहायता का अनुरोध करने पर उनका मार्गदर्शन करें।
11. किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु डा. के. एल. सिराधना, संयुक्त निदेशक, प्रशासन से उनके मोबाइल नम्बर 9414784154 पर सम्पर्क करें।

सभी महाविद्यालय इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

प्रदीप कुमार बोरड, IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा

पत्रांक : CCE/Admn./2020/Spl./20-21; Date: 4th May 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
9. वैब प्रभारी को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली ।

बी. एल. गोयल, RAS
अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा